

फा. सं: सीसीटी-12/1/2026-सीसीटी
Government of India/ भारत सरकार
Ministry of Coal/ कोयला मंत्रालय
(सीसीटी अनुभाग)

कमरा सं. 4605, जीपीओए-3, नेताजी नगर
नई दिल्ली, दिनांक: 30 सितंबर '2026

नोटिस

विषय: खनिज रियायत नियम, 1960 में निहित नियमों में संशोधन के मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श - के संबंध में

पूर्वक्षण एजेंसियों और एमपीपीए के लिए क्यूसीआई एनएबीईटी द्वारा दी गई मान्यता की अवधि को वर्तमान तीन (3) वर्ष से बढ़ाकर पांच (5) वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसके लिए खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर, 1960) में संशोधन की आवश्यकता होगी।

2. मान्यता प्रक्रिया एमसीआर, 1960 की अनुसूची VI में विस्तृत रूप से दी गई है। एमसीआर, 1960 से अनुसूची VI को हटाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव है कि क्यूसीआई-एनएबीईटी द्वारा क्यूसीआई-एनएबीईटी द्वारा तैयार की गई और कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार मान्यता प्रदान की जाएगी। तदनुसार, एमसीआर, 1960 के नियम 21 ग और 22 ख (3) में संशोधन प्रस्तावित हैं।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 का मसौदा, जिसमें नियम 21ग और 22ख(3) में प्रस्तावित संशोधनों और एमसीआर, 1960 की अनुसूची VI को हटाए जाने को शामिल किया गया है, **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है।

4. प्रस्तावित संशोधनों और मसौदा अधिसूचना पर आम जनता, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों, अन्वेषण और खनन योजना तैयार करने वाली एजेंसियों, उद्योग संघों और अन्य संबंधित हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

5. सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर एमएस-ऑफिस वर्ड प्रारूप में ई-मेल द्वारा अपनी टिप्पणियां/सुझाव निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर भेजें:

ईमेल: nayan.pradeep@gov.in

soccnt-moc@gov.in

ई-मेल का विषय "खनिज रियायत नियम, 1960 में शामिल नियमों में संशोधन के मसौदे

पर टिप्पणियां/सुझाव" होना चाहिए।

6. वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियां/सुझाव अवर सचिव (सीसीटी अनुभाग), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नंबर 4615, जीपीओए-3, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023 को भी भेजे जा सकते हैं।

लिफाफे के ऊपर कृपया निम्नानुसार लिखा जा सकता है:

**"खनिज रियायत नियम, 1960 में निहित नियमों में संशोधन के मसौदे पर
टिप्पणियां/सुझाव"।**

(प्रदीप राज नयन)

अवर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल: nayan.pradeep@gov.in

सेवा में,

1. सभी कोयला/लिग्नाइट वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
2. अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड
3. सीएमडी, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
4. सीएमडी, नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
5. सीएमडी, सीएमपीडीआईएल, रांची
6. सीएमडी, एमईसीएल, नागपुर
7. भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई)/एनएबीईटी
8. फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज
9. भारतीय खान योजनाकार और सलाहकार
10. कोयला उत्पादक संघ
11. भारतीय उद्योग परिसंघ
12. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
13. माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
14. सभी अधिसूचित मान्यता प्राप्त पूर्वक्षण/अन्वेषण एजेंसियां

प्रति प्रेषित -

1. माननीय कोयला मंत्री के निजी सचिव
2. माननीय राज्य मंत्री (कोयला) के निजी सचिव
3. सचिव (कोयला) के पीपीएस
4. अपर सचिव (कोयला) के पीएस
5. अपर सचिव एवं नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पीएस
6. सभी संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार/उप महानिदेशक/ सलाहकार (परियोजना)

का कार्यालय

7. सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी
8. कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी

मसौदा

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशनार्थ]

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, , 2026.

सा.का.नि. (अ).— खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्रीय सरकार खनिज रियायत नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. — (1) इन नियमों को खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 (इसके बाद मूल नियमों के रूप में संदर्भित), नियम 21 ग में,—

i. "क्यूसीआई-एनएबीईटी द्वारा मान्यता दी जाएगी " शब्दों के बाद, "मान्यता प्राप्त" शब्द को हटा दिया जाएगा।

ii. "के अनुसार" शब्दों के बाद, "इन नियमों की अनुसूची VI में निर्दिष्ट मानकों और प्रक्रियाओं" शब्दों के लिए ", " इस संबंध में क्यूसीआई-एनएबीईटी द्वारा तैयार की गई और कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्कीम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल नियमों में, नियम 22ख में, उप-नियम (3) में, "के अनुसार" शब्दों के बाद, "इन नियमों की अनुसूची VI में निर्दिष्ट मानकों और प्रक्रियाओं" शब्दों के लिए, " इस संबंध में क्यूसीआई-एनएबीईटी द्वारा तैयार की गई और कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्कीम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. मूल नियमों में, अनुसूची VI को हटा दिया जाएगा।

[फाइल सं. सीसीटी-12/1/2026]

(_____)

अपर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1398, दिनांक 26 नवंबर, 1960 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 150 (अ), दिनांक 27 फरवरी, 2026 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

